

फा. सं.ए - 45011/15/2013-प्रशा.-I

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5 वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक 13 जनवरी, 2016

अनुज्ञापन

विषय - वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विषयों में स्नात्कोत्तर डिग्री में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की इंटर्नशिप स्कीम


संदर्भ: मंत्रालय का कार्यालय आदेश सं.ए-45011/15/2013-प्रशा.1 दिनांक 4 अगस्त, 2013

कैपशन संदर्भके तहत उल्लिखित कार्यालय आदेश के पैरा 2 के उप - पैरा (vi) में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ा जाता है:

"स्टाईपेंड - जिस अधिकारी के साथ इंटर्न को लगया गया है उसके प्रमाणित करने पर इंटर्नशिप अविधि के दौरान 7000 रूपए प्रति माह की दर से इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थी (इंटर्न) को स्टाईपेंड देय होगा।"

2. यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. इसे आंतरिक वित्त प्रभाग से डायरी संख्या 261/JS& FA दिनांक 23.07.2015 के तहत प्राप्त स्वीकृति तथा एफ टी एस 388974 दिनांक 26.10.2015 के तहत सचिव- कारपोरेट कार्य से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया गया है।


(रियाजुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1. कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव के पीएसओ
3. अपर सचिव के पीपीएस
4. संयुक्त सचिव (एसी)/संयुक्त सचिव (एम)/संयुक्त सचिव (बी)/संयुक्त सचिव (के) के पीपीएस
5. डीआईआई/आर्थिक सलाहकार
6. ई-गवर्नेंस सेल को मंत्रालय की वेबसाइट में इस स्कीम को अपलोड करने के लिए
7. मंत्रालय के समस्त अधिकारी/समस्त कर्मचारी तथा सी सी आई/सी एल बी/एस एफ आई ओ को सूचनार्थ प्रेषित है
8. कार्यालय आदेश के फोल्डर में